न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलासः– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –103/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
शिम्भु सिंह पुत्र गोपाल सिंह, दरोगा, निवासी रोजारा, तहसील परबतसर जिला नागौर		उप तहसीलदार पीलवा, उप तहसील पीलवा तहसील परबतसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री रमेश ढाका।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 07/03/2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत उप तहसीलदार, पीलवा द्वारा मुकदमा नम्बर 49/2018 सरकार बनाम शिम्भू सिंह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.08.2018 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का नेतियास ने एक रिपोर्ट श्रीमान उप तहसीलदार पीलवा के समक्ष इस आशय की दिनांक 17.07.2018 को पेश कि की अप्रार्थी शिम्भू सिंह ने खसरा संख्या 86 गैर मुमकिन रास्ता वाके रोजास पर 0.0040 हैक्टर भूमि पर खंदक लगाकर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर दिनांक 17.07.2018 को ही उप तहसीलदार पीलवा ने दर्ज कर उसी दिन अपीलांट को धारा 91 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1956 के तहत नोटिस जारी कर उपर्युक्त अतिक्रमण दिनांक 31.07.2018 से पूर्व हटा लेने अन्यथा हाजिर अदालत आकर जवाब प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 31.07.18 को ही उप तहसीलदार पीलवा के समक्ष पेश होकर बताया की मैने अतिक्रमण हटा लिया है और अब कोई अतिक्रमण मौके पर नहीं है। इसके बावजूद अपीलांट को एलआरएक्ट 1956 की धारा 91 की प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अतिक्रमित भूमि पर किए गए अतिक्रमण से शिम्भू सिंह को बेदखल करने का आदेश पारित करते हुए तीन रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया।

अदालत मातहत तहसीलदार पीलवा द्वार अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही व बिना साक्ष्य के ही एकतरफा निर्णय पारित किया है। जो अपास्त किए जाने योग्य है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.07.18 के बाद पहली पेशी दिनांक 31.07.18 को ही अदालत मातहत ने निर्णय व आदेश पारित कर दिया जबकि दिनांक 31.07.18 को अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में अपना जवाब पेश कर निवेदन किया था कि मैने मेरा अतिक्रमण हटा लिया है और रास्ता खुला है। इस ओर ध्यान दिए बिना ही जबरन निर्णय पारित किया है। जब मौके पर अतिक्रमण ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मौके की जांच करवाकर अगर अतिक्रमण पाया जाता उस स्थिति मे ही अपीलार्थी के खिलाफ आदेश व निर्णय पारित करना चाहिए था। मौके पर रास्ता खुला होने के बावजूद व अतिक्रमण नहीं होते हुए भी अपीलार्थी के खिलाफ निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो खारिज योग्य है।

खसरा नम्बर 86 गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण वर्तमान में नहीं है तथा मौके पर रास्ता चालू हालत में है पटवारी हल्का ने रंजिश के कारण बिना नियमित रूप से नाप चौक किए अवैधानिक तरीके से गलत नोटिस जारी किया है।

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी के नोटिस मात्र को आधार मानकर आदेश व निर्णय पारित करने का कथन करते हुए वकिल अपीलांट ने उप तहसीलदार पीलवा का आदेश दिनांक 31.7.18 को अपास्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम रोजास के खसरा नम्बर 86 की 0.004 हैक्टर गै.मु. रास्ता की भूमि पर खंदक, बाड लगाकर नाजायज कब्जा किया गया है, जो की भू अभिलेख निरीक्षक पीलवा एवं पटवारी नैतियास की रिपोर्ट से साबित है। इसलिए अपील अपीलान्ट सारहीन होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम रोजास के खसरा नम्बर 86 की 0.004 हैक्टर गै.मु. रास्ता की भूमि पर खंदक, बाड लगाकर नाजायज कब्जा किया गया है, जो की भू अभिलेख निरीक्षक पीलवा एवं पटवारी नैतियास की रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा स्पष्ट रूप से साबित है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित हो कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner